

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 14)

[22 जून, 2013]

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और
लैंगिक उत्पीड़न के परिवारी के निवारण तथा
प्रतिक्रिया और उससे संबंधित या उसके
आनुवंशिक विषयों का उत्पाद्य
करने के लिए
अधिनियम

लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के सविस्तार के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के वर्धीन समाज तथा नविकान के अनुच्छेद 21 के अधीन शाज और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मृत प्रधिकारी और किसी उनि का जीवनावधि करने वाले होंडे अपराधिकार, व्यापार या कारबाह करने के प्रधिकार का, जिसके अतार्थ लैंगिक उत्पीड़न से मृत प्रधिकार बालाकरण का प्रधिकार भी है, उत्पत्तन होता है;

और, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा मरिमा में कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति मर्दी पकार के विषेशों को कृपा करने वाली अधिकारीय वैसे अठरास्ट्रीय अभिनवमयी और विचरों द्वारा सर्वव्यापी मान्यताप्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं, जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जून, 1993 को अनुमतिर्वान किया गया है;

और, कार्यस्थल दर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उस अभिनव जो प्रभावी करने के लिए आवश्यक होता है,

जगत् शासनाद्य के चौमठवे वर्ष में समद् द्वारा निम्नलिखित रूप में वह अधिनियमित हो—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संचित नाम, विस्तार और प्रारंभ—(i) इस अधिनियम का संचित नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 है।

(ii) इसका विस्तार समूही भारत पर है।

(iii) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ—इन अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(a) “लैंगिक महिला” से निम्नलिखित अभियेत है—

(i) किसी कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो हो नियोजित है या नहीं, जो अन्यथा द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अधिकारन करती है।

(ii) किसी विवाह स्थान या गृह के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो ऐसे किसी विवाह स्थान या गृह में नियोजित है।

(b) “मर्मविन सरकार” म निम्नलिखित अभियेत है—

(i) एवं कार्यस्थल के संबंध में जो—

(a) केन्द्रीय सरकार या सभ राज्यपत्र प्राप्तन द्वारा स्वाप्ति, उसके न्यायिकाधीन, नियवासाधीन या प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षत उपरक्षत कराई यह नियियो द्वारा गृह या भाग विनायित है, केन्द्रीय सरकार।

(b) राज्य सरकार द्वारा स्वाप्ति, उसके न्यायिकाधीन, नियवासाधीन या प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षत उपरक्षत कराई यह नियियो द्वारा गृह या भाग विनायित है, राज्य सरकार।

(ii) उपचार (1) के अधीन न आने वाले और उसके गतिशीलता के भीतर आने वाले किसी कार्यमूल के संबंध में, जात्रा संवाद।

(iii) "जात्रा" में धारा 7 की उपचारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्थानीय परिवाद मिलि का प्रधारण प्रभिषेत है;

(iv) किसी अधिकारी से धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिषेत है;

(v) "जात्रा कर्मकार" में ऐसी कोई अहिका प्रभिषेत है जो किसी गृहस्थी में पारिशमिक के बिंदु गृहस्थी का कार्य करने के लिए, चाहे नकद या बहुमूल्य में, या तो मीठे या किसी अधिकरण के माध्यम से प्रस्तावी, स्थानीय प्रशासनिक या एकीकानीक अध्याद पर नियोजित है तिनु इसके अन्तर्गत नियोजक के कुंब का कोई संबंध नहीं है;

(vi) "कर्मकारी" में ऐसा कोई अवक्षित अभिषेत है, जो किसी कार्यमूल पर किसी कार्य के लिए या नीचे या किसी अधिकारी के सामग्रम से जिसके अंतर्गत कोई फेंटारा भी है, उसान नियोजक की जानकारी में या उसके बिना, विभिन्न स्थानों, जात्री या ऐसी मजदूरी के अधार पर, चाहे पारिशमिक पर या उसके बिना, नियोजित है या नीचिक अध्याद पर या अन्यथा कार्य कर रहा है, चाहे नियोजक के नियंत्रण अधिकार का विवित है या नहीं और उसके प्रत्यंत कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन, सिख, प्रशिक्षु या ऐसे किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई व्यक्ति भी है;

(vii) "नियोजक" में नियन्त्रित अभिषेत है; —

(i) नमुचित सरकार या किसी स्थानीय प्रशिकरण के किसी विभाग, समाज, उपलब्ध, स्थापन, उद्यम, सम्बन्ध, कार्यालय, नाड़ा या यूनिट के संबंध में, उस विभाग, समाज, उपलब्ध, स्थापन, उद्यम, सम्बन्ध, कार्यालय नाड़ा या यूनिट का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी जो, प्रधानिति, नमुचित सरकार या स्थानीय प्रशिकरण द्वारा इस नियन्त्रित जांच द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ii) उपचार (i) के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यमूल के संबंध में, कार्यमूल के प्रबंध, परिवेशण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति।

स्थानीकरण—इस उपचार के प्रयोगनों के लिए, "प्रबंध" के प्रत्यंत ऐसे समाज के बिंदु नीतियों की विभिन्नति और प्रधानमन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या बोई या समिति भी है;

(iii) उपचार (i) और उपचार (ii) के अंतर्गत ज्ञान वाले कार्यमूल के संबंध में, अपने कर्मकारीयों के संबंध में नियंत्रित करावालों या नियंत्रित करावा व्यक्ति;

(iv) किसी निवास स्थान या घृत के संबंध में, ऐसा कोई व्यक्ति या गृहस्थी, जो ऐसे नियोजित कर्मकार की संख्या, समयावधि या प्रकार या नियोजक की प्रकृति या ये भूमि कर्मकार द्वारा नियन्त्रित कार्यकालापों का बिचार बिना बिचार करता है या उसके नियोजक से पायदा प्राप्त करता है,

(v) "आतंरिक समिति" से धारा 4 के अधीन गठित आतंरिक परिवाद समिति अभिषेत है;

(vi) "स्थानीय समिति" से धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवाद समिति अभिषेत है;

(vii) "सदस्य" में, वाचानिति, आतंरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई सदस्य अभिषेत है;

(viii) "विहित" में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिषेत है;

(ix) "वीडामीन अधिकारी" से धारा 4 की उपचारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया आतंरिक परिवाद समिति का एकाधीन अधिकारी अभिषेत है;

(x) "प्रबंधदीनी" या ऐसा व्यक्ति अभिषेत है जिसके बिना व्यवहित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है;

(xi) "विभिन्न उत्तरीड़न" के अन्तर्गत नियन्त्रित कोई एक या अधिक व्यवाहनीय कार्य या व्यवहार चाहे प्रदूषक कृप्त या विवित कृप्त से है, अर्थात् —

(i) आतंरिक मण्डल और अवशमन, या

(ii) विभिन्न अनुकूलता की प्राप्ति या अनुरोध करना, या

(iii) विभिन्न विषयों पर विभिन्न विवरण, या

(iv) विभिन्न साहित्य विवरण, या

(v) विभिन्न इकृति का कोई अन्य व्यवाहनीय आतंरिक, सौचिक या असौचिक आचरण करना,

(i) ऐमा कोई विभाग, संस्कृत, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शास्त्रा या गुरुद्वारा, जो अनुचित सरकार या स्वामीय प्रशिक्षण या किसी वरकारी कम्पनी या निगम या बहुकारी गोपाल्की द्वारा स्थापित, उसके व्यापिकार्यालय, विशेषज्ञाधीन या पूर्णत या नारान, उसके द्वारा प्रत्यक्षत या प्रत्यक्षत आवल्ल कराई गई विधियों द्वारा विचारोचित की जाती है।

(ii) जोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी ग्राइवेट उद्यम, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थान, गोपाल्की, नाम, और अन्यकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता, जो वाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य सेवाएँ या वित्तीय क्रियाकलाप करता है, जिनके अंतर्गत उपचार, प्रशासन, विक्रय, वित्तज्ञ या सेवा दी है।

(iii) अमरतालाल या परिचर्या गृह;

(iv) प्रशिक्षण, वेळकूट या उनमे मंबंधित प्रत्यक्षित क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई वेळकूट मंस्तान, मंडिहियम, वेळकूट प्रधान या प्रतिसाधार्थी या फीडर का स्थान, जाहे आवासीय है या नहीं।

(v) नियोजन से उद्भूत या उसके प्रक्रम के द्वारा कर्मचारी द्वारा परिचर्यित कोई स्थान विस्त कर्तव्य रखने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिचर्य ही है;

(vi) कोई निवास स्थान या कोई गृह;

(vii) किसी कार्यस्थल के संबंध में, जनरेटिव सेक्टर से ऐमा कोई उद्यम अभियेत है, जो व्यक्तियों या स्वामियोंवित कर्मकारों के स्वामिकार्यालय है और किसी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अधिकार सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और उस उद्यम, कर्मकारों को नियोजित करता है, उस एम कर्मकारों की संस्थान दृष्टि से अन्यून है।

३. वैज्ञान उत्तीर्णन का निवारण—(i) किसी भी प्रद्विला का किसी वार्षिक्य पर लैपिक उत्तीर्णन नहीं किया जाएगा।

(ii) उन्न दर्शितविदों में निम्नलिखित परिस्थितिया, यदि वे लैपिक उत्तीर्णन के किसी कार्य या आपराध के संबंध में जोकी है या नियोजन है या उनमे सबूद्ध है, वैज्ञान उत्तीर्णन की सीटि में आ जाएगी—

(i) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का विवरित या सुस्पष्ट बचत देना; या

(ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की विवरित या नुस्पष्ट धमकी देना, या

(iii) उसके वर्तमान या भावी नियोजन की प्राप्तियों के घरे ने विवरित या सुस्पष्ट धमकी देना, या

(iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप करता या उसके लिए अभिवास्थल या संतापकारी या प्रतिकूल जारी दावावरण वित्त

करना, या

(v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना याता अपमानजनक व्यवहार करना।

बधाय २

आंतरिक परिवाद समिति का गठन

४. आंतरिक परिवाद समिति का गठन—(i) किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, विवित आदेश द्वारा, “आंतरिक परिवाद नियंत्रण” नामक एक समिति का गठन करेगा।

परन्तु (ii) कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक दूनिट, भिन्न-भिन्न स्थानों या घरों या उपचाल स्तर पर अवस्थित है, वहा प्रारंभिक भी प्रशासनिक दूनिटों या कार्यालयों पर गठित हो जाएगी।

(iii) आंतरिक समिति, नियोजक द्वारा नामनिर्दिशित किया जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से सिलकर बनेगी, वधाय—

(iv) एक पीठानीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित सहित होनी

परन्तु किसी ज्येष्ठ स्तर की सहित कर्मचारी के उपचाल नहीं होने की दशा में, पीठानीन अधिकारी, उपधारा (ii) में विवेद्य कर्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक दूनिटों से नामनिर्दिशित किया जाएगा।

परन्तु यह और कि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक दूनिटों में ज्येष्ठ स्तर की सहित कर्मचारी नहीं होने की दशा में, पीठानीन अधिकारी, यसी नियोजक या अन्य विभाग या संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल से नामनिर्दिशित किया जाएगा।

(v) कर्मचारियों में से दो में इन्हें गंभीर सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप में अतिव्युत हैं या जिनके एस सामनिक कार्य में अतिव्युत हैं या विधिक ज्ञान है।

(ग) गैर-मारकारी संघठनों या संगठों में से ऐसा एक सदस्य की महिलाओं के प्रति प्रतिवाद है या जो कोई अवधिकारी और नीतिक उच्चीड़न से संबंधित मुहूर्त से सुपरिवित है;

परंतु इस प्रकार नामनिर्देशित कुल सदस्यों में से कभी से कभी आधे सदस्य महिलाएं ही हैं।

(3) आतंरिक समिति का पीड़ामीन अधिकारी और प्रमुख सदस्य प्रपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी ब्रह्मेषु के लिए पद भारज करेगा, जो विशेषज्ञ द्वारा निर्दिष्ट ही जाए।

(4) गैर-मारकारी संघठनों या संगठों में से नियुक्त किए गए सदस्य को आतंरिक समिति की कार्यकालिया करने के लिए विशेषज्ञ द्वारा ऐसी चीजें या खत्रे, जो विहित किए जाएं, सदृचय किए जाएं।

(5) जहाँ आतंरिक समिति का पीड़ामीन अधिकारी या जोई सदस्य,—

(क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या

(ख) किसी अपराध के लिए गिरोहों द्वारा बना है या उसके विरुद्ध सत्यमय प्रवृत्त किसी विधि के प्रधीन किसी अपराध की कोई जाव लेकिए है; या

(ग) किसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी बना रखा है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लेकिए है; या

(घ) अपनी हैमियत का इस प्रकार दरापयोग करता है, जिससे उसका पद पर वह रहना लोक हित पर प्रतिकूल रहा, वज्रांशिति, ऐसे पीड़ामीन अधिकारी या सदस्य को समिति ने हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सूचित रिक्ति का किसी प्रम्भ जाकर्त्तव्य निकित को इस धारा के उपबंधों के अनुसार एक नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

अध्याय 3

स्थानीय परिवाद समिति का गठन

5. जिला अधिकारी की अधिसूचना—समुचित सरकार, इस अधिस्थितियम के अधीन समितियों का प्रयोग करने या कुलों का अधिकारी के लिए किसी जिला नियमित या अपर जिला मणिस्ट्रेट या कलकटर या उप कलकटर को प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकती।

6. स्थानीय परिवाद समिति का गठन और उसकी अधिकारिता—(1) प्रत्येक जिला अधिकारी, संबंधित जिले में, ऐसे स्थानों में जहाँ उस ने कम कलकटर होने के कारण आतंरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिवाद स्वयं विदोऽस्त्र के विरुद्ध है, तो अधिक उन्नीसन के परिवाद ग्रहण करने के लिए “स्थानीय परिवाद समिति” नामक एक समिति का गठन करेगा।

(2) जिला अधिकारी, धार्मीण या जनजातीय लोक, लाल्लुका और तहसील में और शहरी लोक में वाई या नवारालिका में परिवाद ग्रहण करने के लिए और नात दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिवाद समिति से भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी की पदाधिकारिता करेगा।

(3) स्थानीय परिवाद समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन लोकों पर होगा, जहाँ वह गठित की गई है।

7. स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, सेवाधृती और अन्य नियंत्रण तथा शर्तें—(1) स्थानीय परिवाद समिति, जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले नियमनियुक्त सदस्यों में सिलकर बनेगी, अर्थात्—

(क) अध्याध, जो सामाजिक कार्य के लोक में प्रत्याप और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिवर्द्ध महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी,

(ख) एक सदस्य, जो जिले में लोक, लाल्लुका या तहसील या वाई या नवारालिका में कार्यरत महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ग) दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिवर्द्ध ऐसे गैर-मारकारी संगठनों या संगठों में से या ऐसा अवक्तु, जो नीतिक उच्चीड़न से संबंधित ऐसे मुहूर्त से सुपरिवित हो जो विहित विषय जाए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

परंतु उस में कम एक नामनिर्देशिती के पास, अधिकारी रूप में विधि की पृष्ठभूमि या विधिक जान होना चाहिए।

परंतु यह और कि कम से कम एक नामनिर्देशिती, अनुमूलित जातियों या अनुमूलित जनजातियों या अन्य प्रदूषक वर्गों का विनायक भरकार द्वारा समय-नामय पर अधिसूचित प्रत्यक्षसंबंधक समुदाय की महिला होनी।

(घ) जिसे में सामाजिक कल्याण या महिला और वाल विकास से संबंधित प्रबद्ध अधिकारी, सदस्य पदवत होगा।

(2) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक मदम्ब, अपनी नियुक्ति की तारीख से हीन तर्फ से अनुचित की ऐसी व्यक्ति के लिए पद धारण को नहीं, जो जिना अधिकारी द्वारा विनियोगित हो जाए।

(3) उहा स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष या कोई मदम्ब,—

(4) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या

(5) किसी अपराध के लिए शीघ्रतांद ग़हराया गया है या उसके लिए तारीख अवृत्त किसी विभिन्न कार्यक्रम की अपराध की ऐसी तोत लिखित है, या

(6) किसी अनुशासनिक कार्रवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके लिए कोई अनुशासनिक कार्रवाही लिखित है, या

(7) अपनी हैमेपत्र का इस प्रकार दृष्टप्रयोग करता है, जिसमें उसका अपने पद पर बने द्वारा लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव दात्तने वाला हो गया है,

वहा, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या मदम्ब की समिति में हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सुवित रिक्ति या किसी अनुस्थिति विविध द्वारा के उपबंधों के अनुसार या नामनिर्देशन से भरा जाएगा।

(8) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और उपधारा (1) के चड (ब) और चड (प) के अधीन नामनियोग मदम्बों में भिन्न नदम्ब स्थानीय समिति की कार्रवाहियों करने के लिए ऐसी कीमों या भत्तों के लिए, जो विहित किए जाएं, हकदार होंगे।

४. अनुदान और संपरीक्षा—(1) केंद्रीय सरकार, संसद द्वारा इन नियमित विधि द्वारा किए गए सभी सम्बन्धित विनियोग के पश्चात तज्ज्ञ सरकार को धारा 7 से उपधारा (4) में नियंत्रित कीमों या भत्तों के संदात्य के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी धनराशियों के, जो केंद्रीय सरकार द्वारा कर्तव्यक समझे, अनुदान दे सकेंगी।

(2) तज्ज्ञ सरकार, एक अधिकारक की स्थापना कर सकती और उस अधिकारक को उपधारा (1) के अधीन किए गए अनुदान विविध कर सकती।

(3) अधिकारक, जिना अधिकारी को ऐसी शक्तियों का, जो धारा 7 की उपधारा (4) में नियंत्रित कीमों या भत्तों के संदात्य के लिए दीर्घित हो, सदाय करता।

(4) उपधारा (2) में नियंत्रित अधिकारक के नेतृत्वों को ऐसी रीति से रखा और संपरीक्षित किया जाएगा, जो ग़म्भीर भद्रान्वादार के राजनीति से विहित की जाए, और अधिकारक के नेतृत्वों को अधिकारा में रखने वाला व्यक्ति, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए, तज्ज्ञ सरकार को नेतृत्वों की संपरीक्षित प्रति, उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 4

परिवाद

५. वैधिक उत्पीड़न का परिवाद—(1) कोई व्यक्ति नहिला, कार्यस्थल पर वैधिक उत्पीड़न का परिवाद, पटना सी तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर और धूम्रलाबद्ध पटनाओं की दशा में अनियंत्रित पटना सी तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, लिखित वा आवृत्ति विधियों को, दृढ़ इस प्रकार गठित की गई है या पर्दि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर तकेगी

परन्तु जहा ग़म्भीर परिवाद, लिखित में नहीं किया जा सकता है वहां, यथास्थिति, आवृत्ति की स्थानीय समिति का विस्तारित कर तकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियों ऐसी वीर्य, जिसमें महिला को उक्स अवधि के भीतर परिवाद काले करने से निवारित किया जा।

परन्तु यह वीर्य की, यथास्थिति, आवृत्ति समिति या ग़म्भीर समिति, नेतृत्वद्वारा कारणों न तीन मास में अनियंत्रित की गम्भीर-सीमा को विस्तारित कर तकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियों ऐसी वीर्य, जिसमें महिला को उक्स अवधि के भीतर परिवाद काले करने से निवारित किया जा।

(2) वहा व्यक्ति महिला, अपनी ग़म्भीर समिति या स्थानीय समिति, धारा 11 के अधीन जांच आरेख करने से पूर्व और व्यक्ति वहा उसका विधिक वरिम या ग़म्भीर अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए, इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा।

६. मुनह—(1) व्यास्थिति, आवृत्ति समिति या स्थानीय समिति, धारा 11 के अधीन जांच आरेख करने से पूर्व और व्यक्ति वहा उक्स अवधि के भीतर, मुनह के माध्यम से उसके और उपर्याकी कीच मामले जो विवराने के उदाय कर सकेगी

उक्स वीर्य परिवाद सम्बन्धी नुनह के लिए से नहीं किया जाएगा।

(2) उहा उपधारा (1) के अधीन कोई समझौता हो गया है, वहा, यथास्थिति, आवृत्ति समिति या स्थानीय समिति, इस उपधारा (4) गम्भीर समझौते से अभिनियंत्रित करेगी और उसको विधेयक या जिना अधिकारी को ऐसी कार्रवाई, जो विफारिश में नियंत्रित की जाए, उक्से के लिए दीजेगी।

(3) व्याख्यिति, आतंरिक समिति वा स्वार्थीय समिति, उपचारा (2) के अधीन विद्युत किए गए समझौते की जांच, व्यवित महिला और प्रत्यक्षी को उपलब्ध कराएँगी।

(4) वहा उपचारा (1) के अधीन कोई समझौत हो रहा है, वहा, व्याख्यिति, आतंरिक समिति वा स्वार्थीय समिति इसे भोट और जाच नहीं की जाएगी।

11. परिवाद की जांच—(1) बारा 10 के उपचारों के अधीन रहते हुए, व्याख्यिति, आतंरिक समिति वा स्वार्थीय समिति, वह प्रत्यक्षी कोई कर्मचारी है, वहा प्रत्यक्षी को काम सेवा विकारों के उपचारों के अनुसार और उड़ा ऐसे कोई नियम विस्तार में नहीं है, वहा ऐसी रीति में, जो विहित की जाता, परिवाद की जांच करते को कार्यकारी करेंगी या किसी भोट् प्रत्यक्षी कर्मकारी की रहा वा, स्वार्थीय समिति, एवं प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है, तो भारतीय इह सहिता (1860 का 45) की द्वारा 509 और उड़ा लागू हो, वहा उड़ा सहिता के किसी अन्य समझौते उपचारों के अधीन यामला इन्हिनर करते के लिए सात दिन की अवधि के नीति अनुसार पुलिस को परिवाद देकरी।

परन्तु वहा व्याख्यित महिला, व्याख्यिति, आतंरिक समिति वा स्वार्थीय समिति को यह नुकित करती है कि बारा 10 के उपचारा (2) के अधीन किए द्वा र समझौते के किसी नियमधर पा तर्फ का प्रत्यक्षी द्वारा अनुपायन नहीं किया गया है, वहा आतंरिक समिति वा स्वार्थीय समिति, व्याख्यिति, परिवाद की जांच करते के लिए कार्यकारी करेंगी या पुलिस को परिवाद देकरी।

परन्तु यह और कि वहा दोनों पक्षकार कर्मचारी है, वहा पक्षकारों को, जांच के अनुक्रम के द्वारा, मुनावई का बनार दिया जाएगा और नियम की पहली दोनों पक्षकारों को, समिति के समझौते विकारों के विनाश अभ्यासेवन करते में उनकी समर्थ क्वालिटे के लिए उपलब्ध कराएँ जाएगी।

(2) भारतीय इंड सहिता (1860 का 45) की द्वारा 509 में किसी बात के होते हुए भी, व्यायाम, जब प्रत्यक्षी की अपराध का नियमदृष्ट्या उड़ाया जाता है, तब द्वारा 15 के उपचारों की द्वारा में रखते हुए, प्रत्यक्षी द्वारा व्यवित महिला को ऐसी राति के संबाद का, जो वह अनुचित समझे, आदेत कर देकरा।

(3) उपचारा (1) के अधीन जांच करते के प्रयोजन के लिए, व्याख्यिति, आतंरिक समिति वा स्वार्थीय समिति को जी लकिया होती, जो नियमविधि मामलों के संबंध में किसी भाव का विभागण करते समय विविध प्रक्रिया सहित, 1908 (1908 का 3) के अधीन किसी मिलिन व्यायामरण में विहित है, अधिकृत—

(क) किसी नायिन को बमन करता और उसको हाहिर कराता तथा उसकी अपय पर परीक्षा करना;

(ख) किसी इस्तावेजों के प्रकटीकरण और ऐसे किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) ऐसा भोट् अन्य विषय, जो विहित किया जाता।

(4) उपचारा (1) के अधीन जांच, नाये दिन की अवधि के भीतर पुरी की जाएगी।

अध्याय 5

परिवाद की जांच

12. जांच नवित रहने के द्वारा कार्रवाई—(1) जांच नवित रहने के द्वारा, व्यवित महिला द्वारा किए गए विवित अनुरोध पर, व्याख्यिति, आतंरिक समिति वा स्वार्थीय समिति, विद्योजक को नियमविधि सिफारिश कर सकती,—

(क) व्यवित महिला पर प्रत्यक्षी का किसी अन्य कार्यक्रम पर स्थानान्तरण करना, या

(ख) व्यवित महिला को नीन मास तक भी अवधि की छुट्टी अनुदान करना, या

(ग) व्यवित महिला को ऐसी अन्य राहत, जो विहित की जाए प्रदान करना।

(2) इस द्वारा के अधीन व्यवित महिला को अनुल छुट्टी देसी छुट्टी के अविहित होती, जिसके लिए वह अन्यथा हुक्मादार होती।

(3) उपचारा (1) के अधीन, व्याख्यिति, आतंरिक समिति वा स्वार्थीय समिति की सिफारिश पर, विद्योजक, उपचारा (1) के अधीन की एसे मिलारियों की रातीनियत करता और ऐसे कार्यविधन की रिपोर्ट, व्याख्यिति, आतंरिक समिति वा स्वार्थीय समिति को प्राप्त कराएँगी और ऐसी रिपोर्ट संबित पक्षकारी को उपलब्ध कराएँ जाएगी।

13. जांच रिपोर्ट—(1) इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर, व्याख्यिति, आतंरिक समिति वा स्वार्थीय समिति राते विकारों की एक रिपोर्ट, व्याख्यिति, विद्योजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से इस दिन की अवधि के मानक उपलब्ध कराएँगी और ऐसी रिपोर्ट संबित पक्षकारी को उपलब्ध कराएँ जाएगी।

(2) जला, व्याख्यिति, आतंरिक समिति वा स्वार्थीय समिति इस विवरण पर पहुंचती है कि प्रत्यक्षी के विनाश अधिकारण मावित नहीं किया गया है वहा, वह, विद्योजक और जिला अधिकारी को यह मिलारिय करेंगी कि मामले में किसी कार्रवाई का किया जाना प्राप्तिक नहीं है।

(3) बहा, पथास्थिति, आतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन नाबिल हो सका है, बहा, बह, पथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी में निम्नलिखित के लिए सिफारिश करेगी,—

(i) प्रत्यर्थी को लागू ऐवा नियमों के उपर्योग के अनुसार कावाचार के काम में या जहा, ऐवा ऐवा नियम नहीं उन्हाँ वह है, वहा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐपिक उत्तीर्ण के लिए कार्रवाई करते;

(ii) प्रत्यर्थी को लागू ऐवा नियमों में किसी बात के होने हुए भी, प्रत्यर्थी के बीच या सबदृगी में व्यवित रहिला हो या उसके विप्रिक गणियों को गोदन की जाने वाली ऐसी राशि जो वह समुक्त तमझे, कठीनी करने, जो बारा 15 के उपर्योग के अनुसार वह अवधारित करे;

परन्तु यह नियोजक उपर्योग के बीच से अनुपरिभृत रहने या नियोजन के गमान हो जाने के कारण उसके काम में ऐसी दृष्टिकोण में असमर्थ है तो वह प्रत्यर्थी को, व्यवित रहिला, ऐसी राशि का सदाचार करने का नियंत्रण दे सकता।

परन्तु यह और कि यदि प्रत्यर्थी, बंड (ii) में निर्दिष्ट राशि का सदाचार करने में असकल रहता है तो, पथास्थिति, आतरिक समिति या स्थानीय समिति, नियोजक या जिला अधिकारी को भू-राजस्व के बकाया के स्वयं में राशि की वसूली के लिए बादेत व्यवसित कर सकती।

(4) नियोजक या जिला अधिकारी, उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के मात्र दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा।

14. मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष के लिए बंड—(1) बहा, पथास्थिति, आतरिक समिति या स्थानीय समिति, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है या व्यवित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवाद को मिथ्या जानते हुए किया है या व्यवित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने बीई कूट्टरक्षित या धार्मक इस्तावेज पेश किया है तो वह, पथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी महिला या व्यक्ति के विरुद्ध विनाश, व्यापिति, द्वारा 4 की उपधारा (1) या द्वेषपूर्ण (2) के अधीन परिवाद किया है, उसको लागू ऐवा नियमों के अनुसार या जहा ऐवा ऐवा नियम विद्यमान नहीं है, वहा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती।

परन्तु किसी परिवाद को निष्कृत करने पर व्यापक महसूस उपलब्ध करने में कैबिनेट असमर्थता, इस घारा के अधीन परिवारी के विश्वासी अवश्यकाता नहीं करती।

परन्तु यह और कि किसी कार्रवाई की सिफारिश किए जाने में पूर्व, विहित प्रक्रिया के अनुसार कोई जांच करने के पश्चात् तरिकाई की ओर न द्वेषपूर्ण जाकर निष्कृत किया जाएगा।

(2) बहा, पथास्थिति, आतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी वाली ने मिथ्या भालू दिया है या बीई कूट्टरक्षित या धार्मक इस्तावेज दिया है, वहा वह, पथास्थिति, साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी को, उसके साथी को लागू ऐवा नियमों के उपर्योग के अनुसार या वहा ऐसे ऐवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती।

15. प्रतिकर का अवश्यारण—धारा 13 की उपधारा (3) के बंड (ii) के अधीन व्यवित महिला को मदल की जाने वाली राशियों का अवश्यारण करने के प्रयोजन के लिए, पथास्थिति, आतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी,—

(क) व्यवित महिला को कारित हुए मानसिक आचात, पीड़ा, यातना और भावात्मक कष्ट;

(ख) वैगिक उत्तीर्ण की घटना के कारण कृति के अवसर की हानि;

(ग) विहित द्वारा शारीरिक या मनरिचिकत्सीय उपचार के लिए उपयोग विकिन्सा व्यव;

(घ) प्रत्यर्थी की जाय और विसीय हैसियत;

(इ) गवमुक्त या किसी में ऐसे सदाचार की साइक्ला।

16. परिवाद की अवश्यन्तुओं और जांच कार्रवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिवेद्ध—सूचना का अधिकार प्रतिनियम 2005 (2005 का 22) में किसी बात के होने हुए भी, धारा 9 के अधीन किए गए परिवाद की अवश्यन्तुओं, व्यवित महिला, प्रत्यर्थी और मानसिकी की गहराई और पते, सुलह और जांच कार्रवाहियों से सबधित किसी वाली वाली, पथास्थिति, आतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिशों तथा इस प्रतिनियम के उपर्योग के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को, भूला नीति में, प्रकाशित रूप और मोहिया को संस्कृति या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

परन्तु इस अधिकार व्यवस्था के प्रारंभ लेगिक उत्तीर्ण की किसी विहित को सुनिश्चित व्याय के समर्थ में जानकारी का व्याप्त द्वितीय द्वारा नियम्या के नाम पर या पहुंचाव का उनकी परिचालन को प्रकलिप्त करने वाली किसी अन्य विशिष्टियों का प्रकट किए जाना दूर्लभ किया जा सकता।

17. परिवाद की अवश्यन्तुओं और जांच कार्रवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शक्ति—जहा कोई व्यक्ति नियमों में अधिकारियम के उपर्योग के अधीन परिवाद, जांच या किसी सिफारिशों या की जाने वाली कार्रवाई का सचालन करने वा

उस पर जारीकाही करने का कर्तव्य नीचा नहा है, धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वहाँ वह उसके अधिकार को नाश देवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या वहाँ ऐसे सेवा निवाम विद्यमान नहीं है, वहाँ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, शास्ति के लिए जारी होगा।

18. अपील—(1) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 13 की उपधारा (3) के अंदर (1) या अंदर (3) या धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 17 के अधीन की गई सिफारिशों या ऐसी लिफारिशों को आदर्शवित्त न किए जाने से अधिक, उसके अधिकार को नाश देवा नियमों के उपबंधों के अनुसार व्यापालय या अधिकारण की प्रतीक कर सकेगा या वहाँ ऐसे सेवा निवाम विद्यमान नहीं है, वहाँ तत्समय प्रकृत किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले निवा, अधिक अधिक ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील, सिफारिशों के नव्वे दिन की अवधि के भीतर की जाएगी।

अध्याय 6

नियोजक के कर्तव्य

19. नियोजक के कर्तव्य—प्रत्येक नियोजक—

(क) कार्यस्थल पर सुरक्षित जारी बातावरण उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर सरकार में जाने वाले अधिकारीयों से सुरक्षा भी है;

(ख) नीतिक उन्नीड़न के शास्त्रिक परिणाम; और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जातरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल में किसी महाजनपद स्थान पर प्रदर्शित करेगा;

(ग) अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारियों को युआही बनाने के लिए नियमित ब्रतवार्ताओं पर कार्रवाचार और जानकारी कार्यक्रम और जातरिक समिति के मद्देन्द्रियों के लिए अनिवार्य कार्यक्रम, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिनियम करेगा;

(घ) यातानियति, जातरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवाद पर जारीकाही करने और जाव का नवाचालन करने के लिए आवश्यक दुष्प्रियान् उपलब्ध कराएगा;

(इ) यातानियति, जातरिक समिति या स्थानीय समिति के समझ प्रत्यक्षी और साक्षियों की हाजिरी मुनियित करने में सहायता करेगा;

(ज) यातानियति, जातरिक समिति को स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किए गए परिवाद की धरण में रखते हुए आरोपित हो;

(झ) महिला जो, यदि वह भारतीय दंड सहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रकृत किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के नबंध में बोई परिवाद काइल करना, वयन करती है, महायता प्रदान करेगा;

(ञ) ऐसे कार्यस्थल में, जिसमें ऐसिक उन्नीड़न की घटना हुई थी, अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि अधिक यहिना कोई बायकारी नहीं है, जबकि अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है, भारतीय दंड सहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रकृत किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई आरंभ कराएगा;

(ঞ) नीतिक उन्नीड़न को सेवा नियमों के अधीन कार्रवाई मानेगा और ऐसे कार्रवाचार के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा;

(ঞ) जातरिक समिति द्वारा रिपोर्टों की समय पर प्रस्तुत किए जाने को मानेहर करेगा।

अध्याय 7

जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ

20. जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ—जिला अधिकारी—

(ক) स्थानीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत किए जाने को मानिहर करेगा;

(খ) ऐसे उपाय करेगा, जो नीतिक उन्नीड़न और महिलाओं के अधिकारों के सम्बन्ध में जातकारी धूमित करने के लिए भारतीय समाजों को लगाने के लिए आवश्यक हो।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

21. नीतिक द्वारा बार्थिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना—(১) यातानियति, जातरिक समिति या स्थानीय समिति प्रायक रूपेद्वारा वर्तमान ने भी एम्बेड या अन्य भाव या अन्य विधि किया जाए, एक जातरिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको नियोजक कथा जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

- (१) किसा अधिकारी, उपचारा (१) के अधीन द्वारा गांधी रिपोर्ट पर एक संवित्र रिपोर्ट राज्य मरकार की देना।
22. नियोजक द्वारा चार्चिक रिपोर्ट में जानकारी का सम्बिलित किया जाना—नियोजक, अपनी रिपोर्ट में काइन किए गए मामलों, यदि कोई हो, और अपने संघठन की चार्चिक रिपोर्ट में इस अधिनियम के अधीन उनके विषयों की मत्ता की समिलित करें। या जहाँ ऐसी रिपोर्ट है तो वहाँ जाने की अपेक्षा नहीं की जाए है, वहाँ ऐसे मामलों की मत्ता, यदि कोई हो, जिनका अधिकारी को सुनित करेगा।
23. समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की समिटी और आंकड़े रखा जाना—समुचित मरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की समिटी को भी और कार्यान्वयन पर वैशिक उच्चीड़न के काइन किए गए और निपटाए गए सभी मामलों की मत्ता से संबंधित आंकड़े दिये।
24. समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय किया जाना—समुचित सरकार, नियोजक और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के प्रधीन रहते हुए।
- (क) कार्यान्वयन पर महिलाओं के वैशिक उच्चीड़न से संरक्षण के लिए उपबंध करने वाले इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जनता की समझ बढ़ाने के लिए सुमंगल सूचना, शिक्षा, संमूचना और प्रशिक्षण सामग्रियों विकसित कर सकेंगी और जानकारी कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगी।
- (ख) स्थानीय परिवार समिति के मद्दसों के लिए अभिवित्याम और प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित कर सकेंगी।
25. सूचना मांसपेन और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति—(१) समुचित मरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा बरता रहेंगे कि या कार्यान्वयन पर महिला कार्यकारियों के हित में आवश्यक है, निश्चित आदेश द्वारा,—
- (क) किसी नियोजक या किसा अधिकारी से वैशिक उच्चीड़न के संबंध में ऐसी विविध सूचना जो उसको अपेक्षित हो प्रस्तुत करने की मांग कर सकेंगी;
- (ख) किसी वैशिक उच्चीड़न के संबंध में अभिलेखों और कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए प्राक्षिकृत कर सकेंगी, और उसको ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।
- (ग) इन्द्र नियोजक और किसा अधिकारी, मार किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समष्टि, उसकी अधिकारी में अन्य सभी सूचनाओं, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की प्रस्तुत करेंगे, जो ऐसे निरीक्षण की विषय-बन्धु में संबंधित है।
26. अधिनियम के उपबंधों के बननुपासन के लिए तास्ति—(१) यहाँ कोई नियोजक,—
- (क) धारा 4 की उपचारा (१) के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहेगा;
- (ख) धारा 13, धारा 14 और धारा 22 के अधीन कार्यवाही करने में असफल रहेगा; और
- (ग) इस अधिनियम के छन्न उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए, किसी नियमों का उल्लंघन करना या उल्लंघन करने वाला प्रयास करेंगा या उसके उल्लंघन को दुष्टीरीत करेंगा।
- यहाँ वह, ऐसे जुर्माने से, जो एकाम हजार रुपए तक का हो सकता, दंडनीय होगा।
- (२) यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में पूर्ववर्ती सिद्धांशु ठहराए जाने के पश्चात् उसी अपराध को करना है और सिद्धांशु ठहराया जाता है तो वह,—
- (i) उसी अपराध के लिए उपबंधित अधिकारी दह के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ती सिद्धांशु ठहराए जाने पर अधिनियमित दह से दूरने दह का दारी होगा।
- परन्तु यदि उसमें उक्त किसी दन्व विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए, जिसके निवारण में अभियुक्त का अनुभाव दर्शाया जाता है, कोई उल्लंघन दह निहित है तो न्यायालय दह देने समय उसका सम्मक्ष ज्ञान देगा।
- (ii) सरकार या स्थानीय अधिकारी द्वारा उसके कारबाहर या कियाकलाप को चलाने के लिए अपेक्षित, यथास्थिति, उसकी बननुपासन के रह किए जाने या रक्षितीकरण को समाप्त किए जाने या नवीकरण या अनुयोदन न किए जाने या रद्दकरण के लिए दारी होगा।
27. स्थानांशों द्वारा अपराध का संज्ञान—(१) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, अधिकृत महिला या आंतरिक समिति अपराध स्थानीय समिति द्वारा इस नियमित शाखिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिवार किए जाने के विवाद न करेगा।
- (२) महानायर भवित्वेरुद्ध या प्रधान वर्ग न्यायिक प्रिस्ट्रुट के न्यायालय में अधर कोई न्यायालय इस अधिनियम के प्रधान दंडनीय किसी अपराध का विवारण नहीं करेगा।
- (३) इस अधिनियम के अधीन प्राये अपराध अनुदेश होंगे।

28. अधिनियम का किसी वार्ता विहि के लालीकरण में न होना—यह अधिनियम के उपचाल नामग्रहण करने की कानूनीति में प्रभावी के अधिनियम ही है, जो कि 19 के लालीकरण में।

29. सदृचित सरकार की विद्या हवाने की विहि—(1) लोटीय गरकार इस अधिनियम के उपचारी की सर्वानिया हवाने के लिए जिद्या लालीकरण से अलगुन्नना द्वारा दमा घोषीत।

(2) विद्यालयकार और पर्वीन सी लक्षित की व्यापारकार यह प्रतिकूल प्रधान दाले जिता तो से विद्या विद्याविधिन गारी या किसी विद्यार्थी के नहाने में उपचाल कर याकोने संघीन—

(a) शारा 4 के उपचारा (4) के अधीन सरकारी की सदृचारी की जाने वाली भीमें या बने,

(b) शारा 5 की उपचारा (1) के बहु (ग) के अधीन सरकारी का वायनिर्देशन,

(c) शारा 7 की उपचारा (4) के अधीन लालीकरण और सरकारी की संदृचारी की जाने वाली भीमें या बने

(d) द्वितीय व्यक्ति, जो शारा 9 की उपचारा (2) के अधीन परिवाह कर याकोगा,

(e) शारा 11 की उपचारा (1) के अधीन जांच की गिरि;

(f) शारा 11 की उपचारा (2) के बहु (ग) के अधीन जांच करने की विधियाँ,

(g) शारा 12 की उपचारा (1) के बहु (ग) के अधीन विधारिण की जाने वाली राहत,

(h) शारा 13 की उपचारा (3) के बहु (j) के प्रधान की जाने वाली वार्तावाही की गिरि,

(i) शारा 14 की उपचारा (1) और उपचारा (2) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की गिरि,

(j) शारा 15 के अधीन की जाने वाली कार्रवाही करने की गिरि;

(k) शारा 16 की उपचारा (1) के प्रधीन अधीन की गिरि;

(l) शारा 19 के बहु (ग) के अधीन कर्मचारियों को सुप्राचीन बनाने के लिए कार्रवाही, जानकारी कार्रवाही कार्रवाही और अधिनियम के महान्नदी के लिए अधिनियम कार्रवाही अधीनियम करने की गिरि, और

(m) शारा 20 की उपचारा (1) के अधीन आगामिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा कार्रवाही की गिरि, प्रश्न और सम्बन्धीय सम्बन्धों की गिरि।

(n) इस अधिनियम के अधीन लालीकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विषय, बनाए जाने के प्रबोध उपचारी वर्ष, उपचार वर्ष के अधीन, जब वह सब ने ली, कूल दीस दिन की अवधि के लिए सखा दाले गए। यह अवधि एक वर्ष में इत्यादि दीप्ति के लिए सखान हो जाए और तब वह को प्रत्येक वर्ष अनुकूलित संस्कृति की लालीकरण के लिए सखान हो जाए और तब वह एक वर्ष में ही सखानी होता। यदि उक्त दीप्ति के अवधि ये बाहुदारी सखाने के लिए सखान हो जाए तो तब वह को प्रत्येक वर्ष में ही सखानी होता। यदि उक्त दीप्ति के अवधि ये बाहुदारी सखाने हो जाए तो तब वह को प्रत्येक वर्ष में ही सखानी होता। यदि उक्त दीप्ति के अवधि ये बाहुदारी सखाने हो जाए तो तब वह को प्रत्येक वर्ष में ही सखानी होता।

(o) विद्या राज्य करकार द्वारा द्वारा 8 की उपचारा (4) के प्रधान बनाया गया कार्रवाही विषय बनाए जाने के प्रबोध उपचार वर्ष के दी सदन है। वह प्रत्येक सदन के लालीकरण दीप्ति द्वारा दी गई सदन है, जहां उस सदन के अधीन

(p) शारा 19 को दूर करने के लिए उसे अवधिक बहीत है;

प्राचुर्य द्वारा के अधीन विषय बनाया गया कार्रवाही विषय दीप्ति के प्रबोध उपचार वर्ष के अधीन

प्राचुर्य द्वारा के अधीन विषय बनाया गया कार्रवाही विषय दीप्ति के प्रबोध उपचार वर्ष के अधीन

प्राचुर्य द्वारा के अधीन विषय बनाया गया कार्रवाही विषय दीप्ति के प्रबोध उपचार वर्ष के अधीन

प्राचुर्य द्वारा के अधीन विषय बनाया गया कार्रवाही विषय दीप्ति के प्रबोध उपचार वर्ष के अधीन

प्राचुर्य द्वारा के अधीन विषय बनाया गया कार्रवाही विषय दीप्ति के प्रबोध उपचार वर्ष के अधीन

प्राचुर्य द्वारा के अधीन विषय बनाया गया कार्रवाही विषय दीप्ति के प्रबोध उपचार वर्ष के अधीन

प्राचुर्य द्वारा के अधीन विषय बनाया गया कार्रवाही विषय दीप्ति के प्रबोध उपचार वर्ष के अधीन

प्राचुर्य द्वारा के अधीन विषय बनाया गया कार्रवाही विषय दीप्ति के प्रबोध उपचार वर्ष के अधीन

प्राचुर्य द्वारा के अधीन विषय बनाया गया कार्रवाही विषय दीप्ति के प्रबोध उपचार वर्ष के अधीन